



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266712
CG-DL-E-06102025-266712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4381]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 3, 2025/आश्विन 11, 1947

No. 4381]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4507(अ).— केंद्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिगरेट और किसी भी अन्य तंबाकू उत्पादों में निकोटीन और टार के अंश के परीक्षण के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), होसुर रोड, बैंगलोर, कर्नाटक -560029 में स्थित परीक्षण प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान करती है।

[फा. सं. पी. 16011/03/2019-टीसी]

वी. हेकाली झिमोमी, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 4507(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby grants recognition to the testing laboratory at the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences (NIMHANS), Hosur Road, Bangalore, Karnataka-560029, for the purposes of testing the nicotine and tar contents in cigarettes and any other tobacco products.

[F. No. P. 16011/03/2019-TC]

V. HEKALI ZHIMOMI, Addl. Secy.